न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 78 / 2019

अपीलान्ट

रूपाराम पुत्र उदाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सुबदण्ड, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 16.08.2019 बअनवान सरकार बनाम रूपाराम प्रकरण संख्या 13 / 2019 में तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :–21.10.2019

अपीलान्ट रूपाराम पुत्र उदाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सुबदण्ड तहसील लूणी जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 16.08.2019, जो तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 13 / 2019 अनवान राज्य सरकार बनाम रूपाराम अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम में पारित करते हुए अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए उसे बेदखल करने के साथ जुर्माना व 90 दिन के सिविल कारावास से दंडित किया को निरस्त करवाने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सुबदण्ड एवं भू–अभिलेख निरीक्षक धुन्धाडा ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार लूणी को प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम सुबदण्ड में स्थित खसरा नम्बर 175 रकबा 0.04 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर संवत् 2076 से पश्चातवर्ती अतिक्रमण है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार लूणी

ने प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम के तहत अपीलान्ट को तलब किया। तहसीलदार लूणी ने दिनांक 16.08.2019 को अपीलान्ट को पश्चात्कर्मी अतिक्रमी मानकर तीन माह हेतु सिविल कारावास की सजा से एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार, लूणी से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया। अपीलान्ट अभिभाषक श्री हनुमान प्रजापति की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2019 को प्रकरण दर्ज किया गया लेकिन उसके बाद अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मामलें में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाते हुए आनन–फानन में सरसरी तौर पर ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए एवं अपीलान्ट को सुने बिना उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 16.08.2019 के द्वारा करते हुए अप्रार्थी (अपीलान्ट) को कथित सरकारी रास्ते की भूमि का अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, जुर्माना लगान 0.29 यानि 1 रू का 50 गुणा राशि अदा करने के साथ–साथ 90 दिन की समयावधि के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं है बल्कि एक तरफा तथा विधि व न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के सर्वथा विपरीत है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.08.2019 को खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पटवारी हल्का ग्राम सुबदण्ड व भू–अभिलेख निरीक्षक धुंधाडा की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार लूणी द्वारा राजस्व ग्राम सुबदण्ड के खसरा नम्बर 175 रकबा 0.04 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण एवं कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार, लूणी को निर्देश दिये जाते है कि वह एक टीम गठित कर गै0 मु0 रास्ते की भूमि का 15 दिवस में सीमाज्ञान करवाये तथा सीमाज्ञान के पश्चात अगर अतिक्रमी द्वारा रास्ते पर

अतिक्रमण पाया जाता है और अतिक्रमी 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटा लेता है तो अपीलाधीन आदेश सिविल कारावास की सीमा तक निरस्त माना जाएगा। यदि उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अपीलान्ट नहीं हटाता है तो अपीलाधीन आदेशानुसार तहसीलदार लूणी को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार लूणी को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 17:43:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: